27/a/a/

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम		अप्रार्थीगण
1.	पारसमल पुत्र जोगाराम जाति कुम्हार निवासी सियाट सोजत जिला पाली राजस्थान	1.	सोहनलाल पुत्र जोगाराम जाति कुम्हार निवासी सियाट तहसील सोजत जिला पाली राज0

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 99 / 2023

उपस्थितिः–

01. श्री गोपाल लाल सांखला अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित

–: निर्णय :– दिनांक 21/08/24

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सियाट भू0अ0निरीक्षक सियाट में खसरा नम्बर 188, 253, 91 कुल खसरा 03 कुल रकबा 3.0200 हैक्टर की आई हुई स्थित है। वादस्थ भूमि मौके पर सभी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 01 के बीच आपसी अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थीगण काबिज काश्त है जिसमें प्रार्थी व अप्रार्थी अलग – अलग कब्जा काश्त है। अपार्थी संख्या 01 प्रार्थी के हक हिस्से को हडपना चाहते है तथा दखल अन्दाजी करता रहता है। मौखिक बंटवाडा अनुसार मौके पर तहसील कार्यालय चलकर बंटवाडा करेन हेतु निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 01 हर बार टालमटोल करता रहता है। यदि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्याकंन कदापि रूपयों में नही आंका जा सकेगा। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सरहद मौजा सियाट के खसरा नम्बर 188 रकबा 0.6500 हैक्टर खसरा नम्बर 253 रकबा 1.5200 हैक्टर खसरा नम्बर 91 रकबा 0.8500 हैक्टर में प्रार्थी के 1/3 हक हिस्से का मौखिक बंटवाडा अनुसार हक हिस्से में दखल अन्दाजी नही करने तथा बिना विधिक बंटवाडा करवाये बेचान हस्तान्तरण रहन नही करने हेतु अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की ईशतदुआ की है। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने का प्रर्याप्त अवसर देने के पश्चात भी पेश नही करने से जबाब प्रार्थना पत्र का अवसर समाप्त कर जबाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि वादस्थ भूमि सयुक्त खातेदारी की सामलाती कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के हक हिस्से मे दखल अन्दाजी करने व बेचान करने पर उतारू है। जिसे वाद निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस मे अधिवक्ता अप्रार्थी ने व्यक्त किया वादस्थ भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है। अप्रार्थीगण रेकर्डेड खातेदार है। रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही नही की जा सकती । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर व मनन किया। वस्तुतः सयुक्त खातेदारो के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नही समझते है।

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 21/8/14 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)